

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 16

उपभोक्ता मामले विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	116.00	69.48	185.48	159.30	81.77	241.07	155.77	129.66	285.43	1032.70	191.61	1224.31
पूँजी	15.93	...	15.93	20.70	...	20.70	20.70	...	20.70	17.30	...	17.30
जोड़	131.93	69.48	201.41	180.00	81.77	261.77	176.47	129.66	306.13	1050.00	191.61	1241.61
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	23.41	23.41
2. उपभोक्ता संरक्षण	2552	9.40	...	9.40
	3456	59.85	13.76	73.61
	3601	24.00	...	24.00
	3602	0.75	...	0.75
	जोड़	94.00	13.76	107.76
3. उपभोक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत परियोजनाएं												
3.01 उपभोक्ता कल्याण निधि	3456	8.30	8.30
	3601	6.80	6.80
	3602	0.40	0.40
	जोड़	15.50	15.50
3.02 घटाएं - उपभोक्ता कल्याण निधि से व्यय की गई राशि	3456	-8.30	-8.30
	3601	-6.80	-6.80
	3602	-0.40	-0.40
	जोड़	-15.50	-15.50
	कुल
4. दालों के आयात पर सन्निडी	2408	115.00	115.00
5. मूल्य स्थिरीकरण निधि	2552	90.00	...	90.00
	3456	809.98	...	809.98
	3601	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़	900.00	...	900.00
6. विधिक माप पद्धति और गुणवत्ता आश्वासन												
6.01 डब्ल्यू एंड एम अवसंरचना, आरआरएसएल और आईआईएलएम का सुदृढीकरण	2552	4.00	...	4.00
	3475	16.45	6.83	23.28
	3601	11.25	...	11.25
	3602
	4552	0.05	...	0.05
	5475	7.25	...	7.25
जोड़	39.00	6.83	45.83
6.02 भारतीय मानक ब्यूरो	2552	0.20	...	0.20
	2852	1.80	...	1.80
जोड़	2.00	...	2.00
6.03 राष्ट्रीय परीक्षण शाला	3425	5.00	32.61	37.61
	4552	1.50	...	1.50
	5425	8.50	...	8.50
जोड़	15.00	32.61	47.61
जोड़- विधिक माप पद्धति और गुणवत्ता आश्वासन	56.00	39.44	95.44
सं.अ. 2015-2016												
7. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	3451	...	19.68	19.68	...	23.20	23.20	...	20.51	20.51
उपभोक्ता मामले												
8. राष्ट्रीय परीक्षण शाला	3425	3.29	28.40	31.69	3.30	30.32	33.62	3.30	28.19	31.49
	5425	13.64	...	13.64	12.00	...	12.00	12.55	...	12.55
जोड़	...	16.93	28.40	45.33	15.30	30.32	45.62	15.85	28.19	44.04
9. उपभोक्ता संरक्षण	3456	77.82	10.73	88.55	78.94	12.07	91.01	83.94	11.85	95.79
	3601	11.58	...	11.58	28.16	...	28.16	28.16	...	28.16
	3602	0.22	...	0.22	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90
जोड़	...	89.62	10.73	100.35	108.00	12.07	120.07	113.00	11.85	124.85
10. मूल्य निगरानी कक्ष का सुदृढीकरण	3456
	3601
	3602
जोड़
11. बाट और माप का विनियमन, आरआरएसएल	3475	3.14	5.19	8.33	14.00	5.93	19.93	5.47	5.86	11.33

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
और आईआईएलएम												
	3601	14.45	...	14.45	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50
	3602	0.50	...	0.50
	5475	2.29	...	2.29	6.75	...	6.75	6.20	...	6.20
	जोड़	20.38	5.19	25.57	29.25	5.93	35.18	20.17	5.86	26.03
12. बाजारों का विनियमन	3475
13. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (अंशदान)	3475	...	0.19	0.19	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25
14. दलहनों के आयात पर सब्सिडी	2408	...	5.29	5.29	...	10.00	10.00	...	63.00	63.00
जोड़-उपभोक्ता मामले		126.93	49.80	176.73	152.55	58.57	211.12	149.02	109.15	258.17
15. उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं												
15.01 उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं												
15.01.01 उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं	3456	...	6.22	6.22	...	7.80	7.80	...	7.80	7.80
	3601	...	6.89	6.89	...	6.80	6.80	...	7.20	7.20
	3602	0.40	0.40
	जोड़	...	13.11	13.11	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
15.01.02 घटाइए - उपभोक्ता कल्याण निधि से पूरी की गई धनराशि	3456	...	-6.22	-6.22	...	-7.80	-7.80	...	-7.80	-7.80
	3601	...	-6.89	-6.89	...	-6.80	-6.80	...	-7.20	-7.20
	3602	-0.40	-0.40
	जोड़	...	-13.11	-13.11	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00
	कुल
उद्योग												
16. उपभोक्ता उद्योग	2852	5.00	...	5.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00
17. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	16.50	...	16.50	16.50	...	16.50
	4552	1.95	...	1.95	1.95	...	1.95
	जोड़	18.45	...	18.45	18.45	...	18.45
18. वास्तविक वसूलियां	3456
	3601
	जोड़
कुल जोड़		131.93	69.48	201.41	180.00	81.77	261.77	176.47	129.66	306.13	1050.00	191.61
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़

	विकास शीर्ष	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
		आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ग. योजना परिव्यय													
1. उपभोक्ता उद्योग	12860	5.00	...	5.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	1.80	...	1.80
2. नागरिक आपूर्ति	13456	126.93	...	126.93	152.55	...	152.55	149.02	...	149.02	943.05	...	943.05
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	18.45	...	18.45	18.45	...	18.45	105.15	...	105.15
जोड़		131.93	...	131.93	180.00	...	180.00	176.47	...	176.47	1050.00	...	1050.00

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं ::** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **उपभोक्ता संरक्षण:** यह प्रावधान राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग, उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के उपभोक्ता संरक्षण और सचिवालयी व्यय और पीएमसी के सुदृढीकरण के लिए है। इस प्रावधान में उपभोक्ता जागरूकता के तहत विज्ञापन और प्रचार-प्रसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर उपभोक्ता मंचों के नेटवर्किंग कार्यक्रम और उपभोक्ता मंचों के सुदृढीकरण के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

3. **उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं ::** यह प्रावधान उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत शासित स्कीमों के लिए है।

4. **दलहनों के आयात पर सब्सिडी ::** यह प्रावधान राज्य सरकारों को दालों के आयात और आयातित दालों के वितरण संबंधी एमएमटीसी, पीईसी, एसटीसी और नैफेड को हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए है।

5. **मूल्य स्थिरीकरण कोष ::** यह प्रावधान मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए है। पूर्व में यह योजना कृषि मंत्रालय के पास थी।

6. **डब्ल्यू एंड एम अवसंरचना, आरआरएसएल और आईआईएलएम का सुदृढीकरण ::** डब्ल्यू एंड एम अवसंरचना, आरआरएसएल और आईआईएलएम का सुदृढीकरण : यह प्रावधान बाट और माप इकाई, क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला तथा भारतीय विधिक माप पद्धति संस्थान के लिए है और इसमें क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं के लिए मुख्य कार्यों तथा मशीनरी और उपस्कर के लिए भी प्रावधान शामिल है। इसमें राज्यों/संघ राज्य के स्तर पर बाट और माप अवसंरचना को सुदृढ करने के कार्यक्रम का प्रावधान भी शामिल है।

6.02 भारतीय मानक ब्यूरो - यह प्रावधान भारत में स्वर्ण हालमार्किंग/आमापन केंद्र स्थापित करने के लिए है।

6.03 राष्ट्रीय परीक्षण शाला : यह प्रावधान राष्ट्रीय परीक्षण शाला हेतु है।